


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)



जयपुर, दिनांक 17 JUL 2019

क्रमांक एफ 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2018/00732

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान  
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के कार्यक्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दिनांक 06.09.2016 एवं 20.10.2016


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का अनुबंध जिला स्तर पर किया जाता है जिससे कि इन कनिष्ठ तकनीकी संविदा कार्मिकों की सेवाएं संविदा अवधि में ही कार्य उपलब्धता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में आवश्यकतानुसार ली जा सके।

राज्य स्तर पर समीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया है कि विभागीय निर्देश दिनांक 06.09.2016 एवं 20.10.2016 जिसमें निर्देश प्रदान किये गये थे कि जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक 3 वर्ष से अधिक अवधि से समान कार्यक्षेत्र में कार्यरत है, के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करे, इन निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का समय-समय पर आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्र परिवर्तित किया जावे एवं जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक 3 वर्ष से अधिक अवधि से समान कार्यक्षेत्र में कार्यरत है के कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन कर इस विभाग को की गई कार्यवाही से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.07.2019 तक अवगत कराने का श्रम करावे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(पी.सी. किशन)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

  
अति.आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस 17/7/19

## प्रपत्र

जिले का नाम :-

क.सं.	ब्लॉक का नाम	कनिष्ठ तकनीकी सहायक का नाम	पूर्व कलस्टर में कब से कार्यरत	परिवर्तित कलस्टर में कार्यग्रहण की दिनांक	विशेष विवरण